रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255046
CG-DL-E-01072024-255046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	**नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946**
No. 169]	**NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946**

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 22/2024

विषय : चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के मूल अथवा वहां से निर्यातित ''लिक्विड इपोक्सी रेसिन्स'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा.सं. 6/24/2024-डीजीटीआर.—मेसर्स अतुल लिमिटेड ("अतुल"), और मेसर्स हिंदुस्तान स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड ("एचएससीएल") (जो संयुक्त रूप से आवेदक या घरेलू उद्योग है) ने यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 **(सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम)** और यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (प्राधिकारी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड (संबद्ध देश) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स (संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है और उसने संबद्ध देशों सें संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स है । लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स को थर्मो सेटिंग रेजिन के रूप में उनकी भूमिका के लिए माना जाता है, जो ठोसकारी एजेंट के साथ मिलाने पर एक मैटेरियल बनाते हैं जिसे मजबूत विशेषताओं के साथ उसकी जंग और रसायन प्रतिरोधी विशेषता के लिए जाना जाता है।

4. लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स थर्मो सेटिंग पोलिमर होते हैं जिन्हें कम से कम दो इपोक्स साइड समूहों की उपस्थिति से जाना जाता है जो इपोक्सी रेजिन की संरचना और प्रतिक्रियाशीलता के लिए मूलभूत हैं। लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स के उत्पादन के लिए मुख्य रासायनिक प्रक्रिया एक अल्कलार्यिंग माध्यम और नियंत्रित तापमान की स्थितियों में एपीक्लोरो हाइड्रीन और बिस्फेनोल – ए के बीच प्रतिक्रिया है। लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स काफी उत्तम यांत्रिक, अधेसिव, डाइ इलेक्ट्रिक, जंगरोधी और रसायन प्रतिरोधी विशेषताओं को उचित क्यूरिंग एजेंटों के साथ मिलाने पर दर्शाती है।

5. लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स कम और उच्च मोलीकुलर भार प्री-पोलिमर के रूप में मौजूद रह सकता है। अपनी पोलिमराइजेशन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स विशेष रूप से चेन लंबाईयों की रेंज प्रदर्शित करता है। यद्यपि डिस्टीलेशन शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के जरिए विशिष्ट अनुप्रयोगों हेतु उच्च शुद्धता ग्रेड उल्लेखनीय रूप से प्राप्त करने योग्य हैं। ब्लेंडिंग, एडिटिव ओर फिलर्स के प्रयोग को प्राय: निर्माण कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद में लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स से सभी प्रकार और ग्रेड शामिल हैं जिनमें विभिन्न मोलिकुलर भार, विस्कोसिटी और क्यूरिंग समय शामिल है।

6. लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स को व्यापक रूप से संरक्षण कोटिंग, अधेसिव, निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग, सामग्री और जल के भीतर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और संयोजित अनुप्रयोगों में व्यापाक रूप से प्रयोग किया जाता है।

7. पीयूसी को आमतौर पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 3907.3010, और 3907.3090 के अंतर्गत भारत में आयात किया जाता है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तुओं को अन्य शीर्षों के अंतर्गत आयात किया जाए और इसलिए सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं। डीजी सिस्टम्स डाटाबेस से आयात आंकड़ों का पाटन और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उक्त टैरिफ कोडों के लिए आकलन किया गया है।

8. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के उनके निर्माण के लिए उनके प्रस्ताव संबंधी अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9 आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है, दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य और अंतिम प्रयोगों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथमदृष्ट्या तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी मानते हैं कि इन दोनों को एडी नियमावली के अंतर्गत ''समान वस्तु'' माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड हैं।

घ. जांच की अवधि

11. प्राधिकारी ने 1 जनवरी, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 (12 महीने) की अवधि पर जांच अवधि अर्थात पीओआई के रूप में विचार किया है। क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023 और पीओआई शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग और स्थिति

12. यह आवेदन अतुल और एचएससीएल द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने बताया है कि आवेदकों के अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("ग्रासिम") एक मात्र अन्य घरेलू उत्पादक है। आवेदकों ने दावा किया है कि ग्रासिम ने

पीओआई के दौरान और क्षति अवधि के दौरान आदित्य बिड़ला केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी, थाईलैंड जो थाईलैंड में पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है, से भारी मात्रा में पीयूसी का आयात किया है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ग्रासिम को कतिपय इपोक्सी रेजिन्स के आयातों से संबंधी पूर्ववर्ती जांच में आदित्य बिड़ला केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी से संबंधित माना गया था।

13. उक्त के अलावा, डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रासिम द्वारा किए गए आयात, कुल भारतीय मांग और संबद्ध देशों में उत्पादन और आयातों की दृष्टि से काफी अधिक हैं। इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	आयात मात्रा (एमटी)	कुल मांग (आबद्ध के बिना) – एमटी	कुल आयात-एमटी	मांग का %	कुल आयात का %	उत्पादन का %
वित्त वर्ष 2021-22	****	****	****	0-5%	0-5%	0-5%
वित्त वर्ष 2022-23	****	****	****	0-5%	10-15%	0-5%
पीओआई	****	****	****	0-5%	15-20%	0-5%

स्रोत: डीजी सिस्टम्स के आंकड़ें

14. उक्त के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रासिम क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का नियमित आयातक रहा है और उसने संबंधित पक्षकार से पीओआई के दौरान पीयूसी का भारी मात्रा में आयात किया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत ग्रासिम को अपात्र घरेलू उत्पादक मानने का प्रस्ताव करते हैं।

15. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदकों ने बताया कि पीओआई या क्षति अवधि में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

16. रिकार्ड में सूचना से यह देखा गया है कि आवेदकों का भारत में समान वस्तु के पात्र घरेलू उत्पादन में प्रमुख अर्थात 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए है और इसलिए चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने को कहना चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद है तब तक उनका सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अंतर्गत किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के लिए सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित करना अपेक्षित है।

18. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर उसने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है।

अन्य संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमत संबंधी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके थे। इसके अलावा, आवेदकों ने बताया है कि पीयूसी का कोई समर्थित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है। अत: वे समुचित तीसरे देश (देशों) के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि निर्यात कीमत के रूप में विचार किए जाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से निर्यात आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। अत: आवेदक ने घरेलू उद्योग के खपत मांग के आधार पर प्रतिनिधि देशों में विनिर्माण की प्रतिनिधि लागत के आधार पर उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

निर्यात कीमत

20. आवेदकों ने बाजार आसूचना के अनुसार भारत में आयातों के आधार सूचित सीआईएफ कीमत को अपनाया है। प्रथमदृष्ट्या आकलन के प्रयोनार्थ कारखाना द्वार स्तर पर पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़े अपनाए गए हैं। कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, समुद्री भाड़ा, डीलर का कमीशन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजित की गई है। निर्यात कीमत के संबंध में ऐसे पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

पाटन मार्जिन

21. ऊपर यथा उल्लिखित निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात पर विचार करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित पाटन, घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती और कीमत न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उनके निष्पादन में घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर पीयूसी के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर आय, बाजार हिस्सा के संबंध में उनका निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों के पाटन के कारण हुई है।

23. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि आयातों के कारण संबद्ध देशों में भारी अतिरिक्त क्षमताओं और कीमत ह्रास पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति का खतरा है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

24. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

25. एडी नियमावली के नियम 6 में यथा उल्लिखित सिद्धांतों वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

26. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.inn, adv16-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध

का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच के संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसमें संलग्न परिशिष्ट / अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33. ''गोपनीय या अगोपनीय'' अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे की अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से मना करता है और तर्कसंगत अवधि के भीतर अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE

(Ministry of Commerce and Industry)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

<u>INITIATION NOTIFICATION</u>

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No. AD (OI)-22/2024

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of "Liquid Epoxy Resins" originating in or exported from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand.

F. No. 6/24/2024-DGTR.— M/s Atul Ltd. ("**Atul**")**, and** M/s Hindusthan Specialty Chemicals Ltd. ("**HSCL**") **(**collectively "**applicants**" or "**domestic industry**") have filed an application before the Designated Authority ("**Authority**"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended (**"Customs Tariff Act**") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended ("**AD Rules**"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Liquid Epoxy Resins" ("**subject goods**" or "**product under consideration**") originating in or exported from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand ("**subject countries**").

2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject countries and have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is Liquid Epoxy Resins. Liquid epoxy resins are recognized for their role as thermosetting resins, which, upon mixing with a hardening agent, form a material renowned for its corrosion and chemical resistance, with strong adhesive properties.

4. Liquid epoxy resins are thermosetting polymers characterized by the presence of at least two epoxide groups, which are fundamental to the structure and reactivity of epoxy resins. The main chemical reaction for producing Liquid epoxy resins is the reaction between epichlorohydrin and bisphenol-A, in an alkaline medium and under controlled temperature conditions. Liquid epoxy resins exhibit very good mechanical, adhesive, dielectric, anti-corrosion & chemical resistive properties when combined with appropriate curing agents.

5. Liquid epoxy resins can exist as low or high molecular weight pre-polymers. Due to the nature of its polymerization process, liquid epoxy resins typically exhibits a range of chain lengths, although high purity grades are attainable for specific applications, notably through distillation purification processes. Use of blending, additives and fillers is often referred to as formulating. The product under consideration includes all types and grades of liquid epoxy resins, encompassing various molecular weights, viscosities, and curing times.

6. Liquid epoxy resins are widely used as protective coatings, adhesives, construction & civil engineering, marine & underwater, electrical & electronics and composite applications.

7. The PUC is generally imported into India under HS Codes 3907.3010, and 3907.3090 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product. Import data from the DG Systems database has been assessed for the above tariff codes for the purposes of dumping and injury analyses.

8. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for their construction of PCNs, if any, within 30 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicants have claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, functions and end-use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as "like article" under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like articles' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRIES

10. The subject countries in the present petition are China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

11. The Authority has considered the period from January 1, 2023 – December 31, 2023 (12 Months) as the period of investigation, i.e., the POI. The period of injury covers the periods from April 1, 2020 to March 31, 2021, April 1, 2021 to March 31, 2022, April 1, 2022 – March 31, 2023, and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by Atul Ltd., and HSCL. The applicants have submitted that Grasim Industries Limited ("Grasim") is the only other domestic producer besides the applicants. The applicants have claimed that Grasim has imported the PUC in significant quantities from Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Thailand, during the POI as well as during the injury period which is the sole producer of PUC in Thailand. The applicants have further claimed that Grasim was considered as related to Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd in the previous investigation concerning imports of certain epoxy resins.

13. In addition to the above, based on the information available from the DG Systems import data, the Authority notes that the imports made by Grasim are substantial in volume in terms of total Indian demand and production and imports from subject countries. The same is provided in the table below:

Year	Import Quantity (MT)	Total Demand (Excluding Captive) - MT	Total Imports - MT	% of the Demand	% of Total Imports	% of the Production
FY 2021-22	****	****	****	0-5%	0-5%	0-5%
FY 2022-23	****	****	****	0-5%	10-15%	0-5%
POI	****	****	****	0-5%	15-20%	0-5%

Source: DG Systems data

14. Based on the above, the Authority notes that Grasim is a regular importer of the PUC during the injury period and has imported a significant quantity of PUC during the POI from the related party. In view of the same, the Authority proposes to consider Grasim as an ineligible domestic producer under Rule 2(b) of the AD Rules.

15. The applicants have submitted that they have not imported the subject goods during the POI. Further, the applicants submitted that there is no other domestic producer of the subject goods in the POI or the injury period.

16. From the information on record, it is seen that the applicants account for major production i.e., 100% of the eligible domestic production of the like article in India. On the basis of the information available, the Authority *prima facie* considers that the applicants constitute an eligible domestic industry within the

meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

A NORMAL VALUE

a) Normal value for China PR

17. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of that product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the AD Rules. Under Para 7, normal value for a non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of subject goods in the market economy third county or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including the price paid or payable in India.

18. The normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the cost of production of the domestic industry of the subject goods, after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b) Normal value for other subject countries

19. The applicants have submitted that it was not able to find evidence regarding the domestic selling price in the other subject countries. Further, the applicants have submitted that the PUC does not have a dedicated tariff classification. Therefore, it was not able to obtain export data from publicly available sources to be considered as 'comparable representative export price of the subject goods from the subject countries to an appropriate third country(ies).' In view of the same, the applicants have claimed normal value based on the constructed price payable in the respective countries. Therefore, the applicants have constructed the normal value based on the representation cost of manufacturing in the respective countries based on the consumption norms of the domestic industry, duly adjusted with the selling, general, and administrative expenses and reasonable profit.

B EXPORT PRICE

20. The applicants have adopted the CIF price reported as per imports into India as per market intelligence. The information provided by the applicants has been compared with the DG Systems data. For the purpose of the *prima facie* assessment, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. To determine the ex-factory export price, the price has been adjusted with ocean freight, inland freight, handling charges, ocean insurance, dealers commission, bank charges and credit cost. There is sufficient *prima facie* evidence with respect to export price to justify the initiation of the investigation.

C DUMPING MARGIN

21. Considering the normal value and export price as elaborated above, the dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Customs Tariff Act. It is seen that the dumping margin is not only above the *de minimis* levels, but also significant

G. INJURY AND CAUSAL LINK

22. The information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury suffered as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicants have claimed that its performance has been adversely impacted in respect of profitability, return on investment, market share as a result of the increase in imports of the PUC at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries.

23. The applicants have also claimed that the imports are causing threat of material injury, considering significant surplus capacities in subject countries, and price suppression.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

24. On the basis of duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry pertaining to dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority,

hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

25. Principles, as stated under Rule 6 of the AD Rules, shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

26. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in, and adg16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

27. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

28. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in, and adg16-dgtr@gov.in. within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

31. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response *I* submissions.

32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments of the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if

the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA
NATH
YADAVA